

30-01-2024 राज मह पत्रावली धर्षा/वादी

की सरपरस्त माता मनीषा देवी के धर्षना पत्र पर तब ब्रेकडफेश हुई धर्षा/वादी को धर्षना पत्र पर सुना गया। धर्षा/वादी का विवेदन यह कि वादी व प्रतिवादी का आपस में शहीनामा ब्रे जाने के कारण वादी प्रकरण को जमाने नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाद एवं धर्षना पत्र 212 R.A Act को Not Press में खारीज कर दिया जावे। वादी धर्षा का धर्षना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण Not Press में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार बेशर नम्बर से कम ब्रे बाद तकमीलं दाखिल जिला खेरग भंडार हो। सुनामा गया।

मनीषा देवी  
28.  
कुमार

मुख्याधिकारी  
मुख्य न्यायाधीश (अलख) राज